तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/3675/2002/पाली मोती सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 25.01.2019

अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 23(1) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-05-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि असेसी मोतीसिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही पुराने कानून में उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा प्रारम्भ की जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 8-9-1972 से सीलिग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी। तत्पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07-07-80 से सीलिंग प्रकरण को रिओपन कर पुनः जांच कर सीलिंग कार्यवाही के निर्धारण हेतु प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर, पाली को भिजवाया गया। रिओपन आदेश की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 29-05-2002 से अपीलार्थी असेसी के खाते 119बीघा 12बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/3675/2002/पाली मोती सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि राज्य सरकार के राजस्व (सीलिंग-ग्रुप) विभाग ने भी दिनांक 01-04-1966 को असेसी के परिवार में 08सदस्य माने है तथा उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 08-09-1972 में असेसी के परिवार में 10 सदस्य माने है एवं अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर के समय दिये गये बयान के अनुसार भी परिवार में 10 सदस्य बताये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के असेसी के परिवार में 06सदस्य मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है जिसमें असेसी के पुत्रों का जन्म से ही अधिकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने असेसी के पुत्रों को नियम 17 का फायदा नहीं देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि ग्राम सांडिया तहसील सोजत ग्रुप-द्वितीय का ग्राम है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को प्रथम ग्रुप की मानकर स्टेण्डर्ड एकड की गणना की है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार असेसी के खाते दिनांक 1-4-1966 को 260बीघा भूमि ही धारण में थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने असेसी के पास दिनांक 1-4-1966 को 299बीघा 12बिस्वा भूमि धारण में होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/3675/2002/पाली मोती सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध की गयी सीलिंग कार्यवाही को ड्राप किया जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार के रिओपन आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा असेसी मोतीसिंह के सीलिंग प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद जांच एवं सुनवाई विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के रिओपन आदेश दिनांक 07-07-80 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद जांच एवं सुनवाई निर्णय दिनांक 29-05-2002 से अपीलार्थी असेसी के धारण में 119बीघा 12बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण के आदेश पारित किये। प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार के राजस्व (सीलिंग-ग्रुप) विभाग ने भी दिनांक 01-04-1966 को असेसी के परिवार में आठ सदस्य माने है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में असेसी के परिवार में छः सदस्य मानने का कोई आधार अंकित नहीं किया है। इसी प्रकार ग्राम सांडिया तहसील सोजत ग्रुप-द्वितीय का ग्राम है जबकि अतिरिक्त कलक्टर ने विवादित आराजी को प्रथम ग्रुप की होना मानकर स्टेण्डर्ड एकड की गणना की है, जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/3675/2002/पाली मोती सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालयों को असेसी के परिवार के सदस्यों संख्या एवं विवादित भूमि के स्टेण्डर्ड एकड की गणना बाबत् प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-05-2002 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयों को उपरोक्त दोनों बिन्दूओं पर विस्तृत जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में दिनांक 25.02.2019 को उपस्थित होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य